पहल . 20 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिली इमारत का नहीं होगा निर्माण

P.K – 12-9-13

एक माह में बनेगा बिल्डिंग बाइलॉज

लागू करने के पहले आम लोगों से लिये जायेंगे सुझाव

राष्ट्रीय और दूसरे प्रांतों का होगा अध्ययन

मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

संवाददाता, पटना

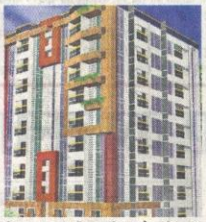

एक माह में बिहार राज्य बिल्डिंग बाइलॉज तैयार हो जायेगा. इसे लागू करने के पहले आम लोगों से सुझाव भी लिये जायेंगे. 20 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर बहुमंजिली इमारत नहीं बन सकेगी. पूरे राज्य के लिए एक समान बिल्डिंग बाइलॉज होगा. औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रावधान किये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार बिल्डिंग बाइलॉज सहित नगर विकास व आवास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की.

पर्यावरण का रहे ख्याल

सीएम ने सुझाव दिया कि पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य व सफाई को ध्यान में रखते हुए बेहतर बिल्डिंग बाइलॉज बने. पटना महानगर मास्टर प्लान जल्द तैयार करने का निर्देश दिया गया. नगर विकास विभाग के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सीएम को बताया कि पटना मेट्रो एलाइनमेंट का डीपीआर राइट्स कंपनी बना रही है. मेट्रो रेल से सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा. शहरवासियों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी कम समय लगेगा. दानापुर से पटना सिटी तक मेट्रो रेल चलाने की योजना है. बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नियम पर चर्चा हुई. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वह पटना महानगर मास्टर प्लान जल्द तैयार करने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दे. उन्होंने कहा कि पटना महानगर मास्टर प्लान 2007 से बन रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो सका है. समीक्षा बैठक में पटना पार्क सोसाइटी, मेट्रोपोलिटन एरिया व वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क राज्य के विभिन्न पार्कों के रखरखाव पर भी चर्चा हुई.

सीमए ने कहा

- पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य व सफाई को ध्यान में रखते हुए बेहतर बिल्डिंग बाइलॉज बने
- पटना महानगर मास्टर प्लान 2007 से बन रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो सकी है.

वर्ष 1981 के बाद नहीं बना बाइलॉज

1981 के बाद बिहार में नया बिल्डिंग बाइलॉज नहीं बनाया गया है. आबादी तेजी से बढ़ी है. बेहतर बिल्डिंग बाइलॉज नहीं होने के कारण सुव्यवस्थित भवन निर्माण हो पा रहा है. बिल्डिंग बाइलॉज के लिए नेशनल बिल्डिंग बायलॉज और अन्य राज्यों का अध्ययन हो रहा है. समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, सचिव बिधि सह परामर्शी विनोद कुमार सिन्हा, प्रधान अपरमहाधिवक्ता ललित किशोर व सीएम के सचिव अतीश चंद्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

जलजमाव से मिलेगी मुक्ति

संवाददाता, पटना

एक्जिबिशन रोड, फ्रेजर रोड, गोरिया टोली, जमाल रोड और स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में जलजमाव से मुक्ति मिलेगी. सड़कों पर बारिश का पानी नहीं जमा होगा. इन सड़कों पर होनेवाले जल जमाव से मुक्ति के लिए नगर विकास विभाग ने नगर निगम को करीब 10.50 करोड़ रुपये की राशि दी है. इस योजना के तहत एसपी वर्मा रोड के संप हाउस की क्षमता बढ़ायी जायेगी और मौर्या होटल से बाकरगंज नाला तक भु-गर्भ नाले का पाइप बदला जायेगा.

एसपी वर्मा का पानी गिरेगा मंदिरी नाले में

एसपी वर्मा रोड के नाले का पानी मंदिरी नाले में गिराया जायेगा. यहां के नाले का पानी रेडियो स्टेशन, छज्जुबाग होते हुए मंदिरी नाले में गिरेगा. फिलहाल एसपी वर्मा रोड का पानी बाकरगंज के नाले में गिरता है. इस क्षेत्र में जल निकासी का दबाव अधिक बढ़ गया है और यहां का संप हाउस भी काफी पुराना हो चुका है, इसलिए जलनिकासी में समस्या होती है.

टेंडर के बाद शुरू होगा काम

नगर विकास विभाग ने निगम को राशि दे दी है. अब आगे की प्रक्रिया में इसका टेंडर निकाला जायेगा और टेंडर निकल जाने के बाद संप हाउस की क्षमता और नाले का पाइप बदलने का काम शुरू हो जायेगा. वार्ड नंबर 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पू ने बताया कि एक्जिबिशन रोड, फ्रेजर रोड, स्टेशन रोड, आरके भट्टाचार्य गली नंबर एक, गोरिया टोली और जमाल रोड एरिया का पानी बाकरगंज नाले से जाता है. हल्की बारिश में भी जल निकासी नहीं हो पाती है. यह नाला हमेशा जाम रहता है. इससे सड़क पर 24 से 40 घंटे तक पानी जमा रहता है. आनेवाले दिनों में इन मुहल्ले के लोगों को जलजमाव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी.

कितना होगा खर्च

- एसपी वर्मा संप हाउस की क्षमता बढ़ाने में लगभग 9.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- मौर्या होटल से बाकरगंज नाला तक भू-गर्भ नाले का पाइप बदलने में 54.65 लाख रुपये खर्च होंगे.

हर वार्ड में मिलेंगे दस-दस लाख रुपये

पटना. नगर निगम के सभी वार्डों में विकास के लिए दस-दस लाख रुपये दिये जायेंगे. वार्ड पार्षद इस राशि का खर्च अपने वार्ड के विकास में कर सकेंगे. नाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट और सड़क मरम्मती से लेकर वार्ड की जरूरत के हिसाब से पार्षद अनुशंसा करेंगे और उन्हें राशि निगम मुहैया करायेगी. निगमायुक्त ने वार्डों के विकास के लिए पार्षदों की अनुशंसा पर दस-दस लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. इस राशि की स्वीकृति नगर निगम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृत नहीं मिल पायी थी. सोमवार को निगम के विशेष सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निगमायुक्त ने कार्य आदेश जारी किया है. इसके तहत राशि का खर्च पार्षदों की अनुशंसा पर की जायेगी.